न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखाण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या 20/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/25)

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. बलवीर कौर पत्नी अकतर सिंह जाति जटसिख निवासी 25 एफ गुलाबेवाला तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर।	1. सिकन्दर सिह पुत्र नक्षत्र सिह जाति जटसिख निवासी अरायण तहसील श्री करणपुर 2. इकबाल सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी अरायण तहसील श्री करणपुर 3. बोहड़ सिंह पुत्र जय सिंह जाति जटसिख निवासी 25 एफ तहसील श्री करणपुर 4. मंगल सिंह पुत्र इकतर सिंह जाति जटसिख निवासी 25 एफ तहसील श्री करणपुर 5. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व, श्री करणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 13.02.2023

उपस्थितः 1.श्री पलविन्द्र सिंह, अधिवक्ता वादिया
2. श्री प्रेम कुमार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4

--निर्णय-- **दिनांकः19.11.2024**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम चक 30 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू0अभि0 अरायण, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 17/19, 19/20, 101/96 में पक्षकारान के नाम से राजस्व अभिलेख में भूमि दर्ज है। राजस्व ग्राम चक 2 एन, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू0अभि0 अरायण, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 69/62 में पक्षकारान के नाम से राजस्व अभिलेख में भूमि दर्ज है। राजस्व ग्राम चक 25 एफ, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू0अभि0 अरायण, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 63 में पक्षकारान के नाम से राजस्व अभिलेख में भूमि दर्ज है। पारिवारिक सम्पति विभाजन के अनुसार पक्षकारान के कब्जा, काश्त व हिस्सा में निम्न प्रकार से भूमि आयी है :-

क्र.स.	पक्षकारान का नाम	रकबा
1	बलवीर कौर पत्नी अकतर सिंह जाति जटसिख निवासी 25 एफ गुलाबेवाला तहसील श्रीकरणपुर	चक 2 एन के खाता संख्या 69 में सिंकन्दर सिंह के नाम से दर्ज 1.328 हैक्टर भूमि, इकबाल सिंह के नाम दर्ज 0.887 हैक्टर भूमि। चक 25 एफ के खाता संख्या 63 में इकबाल सिंह के नाम से दर्ज 1.086 हैक्टर मे से 0.694 हैक्टर भूमि चक 30 एफ के खाता 101 में सिकन्दर सिंह के नाम से दर्ज 1.202 हैक्टर भूमि में से 0.253 हैक्टर भूमि।
2.	प्रतिवादी संख्या 1 सिकन्दर सिह पुत्र नक्षत्र सिह जाति जटसिख निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर	चक 30 एफ के खाता संख्या 19/20 में बलवीर कौर के नाम से दर्ज 3.163 हैक्टर में से 1.581 हैक्टर भूमि, चक 25 एफ के खाता संख्या 101 में सिकन्दर सिह के नाम से दर्ज 1.202 हैक्टर में से 0.949 हैक्टर भूमि।
3.	प्रतिवादी संख्या 2 इकबाल सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर	चक 30 एफ के खाता संख्या 19/20 में बलवीर कौर के नाम से दर्ज 3.163 हैक्टर में से 1.581 हैक्टर भूमि चक 25 एफ के खाता संख्या 63 मे इकबाल सिह के नाम से दर्ज 1. 086 हैक्टर भूमि में से 0.392 हैक्टर भूमि

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

4.	प्रतिवादी संख्या 3 बोहड़ सिंह पुत्र जय सिंह जाति जटसिख निवासी 25 एफ तहसील श्रीकरणपुर	चक 25 एफ के खाता संख्या 63 में मंगल सिंह के नाम से दर्ज 3.216 हैक्टर में से 0.418 हैक्टर भूमि
5.	प्रतिवादी संख्या 4 मंगल सिंह पुत्र इकतर सिंह जाति जटसिख निवासी 25 एफ तहसील श्री करणपुर	चक 2 एन के खाता संख्या 69 में बोहड़ सिंह के नाम से दर्ज 0.418 हैक्टर भूमि।

उपर्युक्तानुसार भूमि पर काबिज अवश्य है, लेकिन उक्त भूमि संयुक्त खाता में अलग-अलग एक दूसरे पक्षकारान के नाम से दर्ज होने के कारण वादी को हर समय भारी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है। वादी को अपने हिस्सा की कृषि भूमि हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली सरकारी अनुदान, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने व रास्ता आदि की विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी अपने नाम दर्ज कृषि भूमि का अन्य संयुक्त सहखातेदारान से किलावाईज जोत विभाजन करवाकर, अपने कब्जा व हिस्सा की कृषि भूमि को किलावाईज अलग से अपने नाम घोषित करवाना चाहती है तथा वादी के हिस्सा में आई कृषि भूमि का राजस्व लगान भी अलग से वादी अपने नाम कायम करवाना चाहती है। वादी ने आज से 10 रोज पूर्व प्रतिवादीगण से कहा कि हम कब्जा काश्त व सहमति से बंटवारा अनुसार अपने-अपने कब्जा व काश्त हिस्सा की भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा लेवे, तो प्रतिवादीगण ने कहा कि पारिवारिक परेशानियों व व्यस्तता के चलते हम ऐसा करने में असमर्थ है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र पारिवारिक घरू बंटवारा अनुसार डिक्री फरमाया जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार उपस्थित आए व जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। नकल वादी अधिवक्ता को दिलाई गई। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने वादी का वादपत्र स्वीकार किया है। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि चक 30 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 17/19 में कुल 3.087 हेक्टैयर नहरी भूमि मय गैरमुमकिन खाला भूमि व खाता संख्या 101/96 की कुल 6.009 हेक्टैयर भूमि, चक 2 एन की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 69/62 की कुल 10.879 हेक्टैयर भूमि, चक 25 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 63/63 की कुल 5.451 हेक्टैयर भूमि में वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हिस्सा में भूमि आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादिया व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड

खण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 2807 दिनांक 04.09.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। सामिल मिसल की गई। वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सामिल मिसल किया गया।

4. बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वादपत्र व प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद पत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-ःआदेशः-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है। कि चक 30 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 17/19 में कुल 3.087 हेक्टैयर नहरी भूमि मय गैरमुमकिन खाला भूमि व खाता संख्या 101/96 की कुल 6.009 हेक्टैयर भूमि, चक 2 एन की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 69/62 की कुल 10.879 हेक्टैयर भूमि, चक 25 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 63/63 की कुल 5.451 हेक्टैयर भूमि में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को निम्नांकित रूप से खातेदार घोषित किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम मय रकबा
1	बलवीर कौर पत्नी अकतर सिंह जाति जटसिख निवासी 25 एफ गुलाबेवाला तहसील श्री करणपुर(1.834 हैक्टेयर)	चक 2 एन के खाता संख्या 69 में सिंकन्दर सिंह के नाम से दर्ज 1.328 हैक्टर भूमि, इकबाल सिंह के नाम दर्ज 0.887 हैक्टर भूमि का। चक 25 एफ के खाता संख्या 63 में इकबाल सिंह के नाम से दर्ज 1.086 हैक्टर मे से 0.694 हैक्टर भूमि का। चक 30 एफ के खाता 101 में सिकन्दर सिंह के नाम से दर्ज 1.202 हैक्टर भूमि में से 0.253 हैक्टर भूमि का।
2.	सिकन्दर सिह पुत्र नक्षत्र सिह जाति जटसिख निवासी अरायण तहसील श्री करणपुर(2.530 हैक्टेयर)	चक 30 एफ के खाता संख्या 19 में बलवीर कौर के नाम से दर्ज 3.163 हैक्टर में से 1.581 हैक्टर भूमि का, चक 30 एफ के खाता संख्या 101 में सिकन्दर सिंह के नाम से दर्ज 1.202 हैक्टर में से 0.949 हैक्टर भूमि का।
3.	इकबाल सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी अरायण तहसील श्री करणपुर (1.974 हैक्टेयर)	चक 30 एफ के खाता संख्या 19 में बलवीर कौर के नाम से दर्ज 3.163 हैक्टर में से 1.582 हैक्टर भूमि का। चक 25 एफ के खाता संख्या 63 मे इकबाल सिह के नाम से दर्ज 1.086 हैक्टर भूमि में से 0.392 हैक्टर भूमि का।
4.	बोहड़ सिंह पुत्र जय सिंह जाति जटसिख निवासी 25 एफ तहसील श्री करणपुर (0.418 हैक्टेयर)	चक 25 एफ के खाता संख्या 63 में मंगल सिंह के नाम से दर्ज 1.072 हैक्टर में से 0.418 हैक्टर भूमि का।
5	मंगल सिंह पुत्र इकतर सिंह जाति जटसिख निवासी 25 एफ तहसील श्री करणपुर (0.418 हैक्टेयर)	चक 2 एन के खाता संख्या 69 में बोहड़ सिंह के नाम से दर्ज 0.418 हैक्टर भूमि का।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर